तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सुमन देवी v/s हरिचरण मीना
31.3.22	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। कक्षा II को लम्बित। पत्रावली वास्ते कक्षा II दिनांक 12/5/22 का देश हो। तब तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश बढ़ाये जाते हैं।
	12/5/22 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यो मे व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23-6-22 को पेश हो। रीडर
	23-6-22 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यो मे व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/7/22 को पेश हो। रीडर
Not pressed 28/7/22	28/7/22 पत्रावली पेश हुई। वकील उपपक्ष उपस्थित है। वकील प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं चलाना चाहते है Not press के खारिज करवाना चाहते है। अतः वकील प्रार्थी के Not press के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फौरन अग्रेतर नम्बर के बाद तस्लीम दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
बजीरपुर